

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक 25 AUG 2023

आज्ञा

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार गर्ग, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर कोटा को कार्यव्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर में उप विधि परामर्शी के पद पर कार्य करने हेतु जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25.05.2023 को निरस्त किया जाता है।

श्री राजीव कुमार गर्ग, उप विधि परामर्शी को कार्यालय जिला कलक्टर कोटा में उप विधि परामर्शी के पद पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से


(आशु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. जिला कलक्टर कार्यालय कोटा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. जिला कलक्टर कार्यालय धौलपुर।
5. श्री राजीव कुमार गर्ग, उप विधि परामर्शी को प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय जिला कलक्टर कोटा में अविलम्ब कार्य ग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव